

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
चमोली।

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
फरीदकोट हाउस कोपरनिकस मार्ग,
नई दिल्ली-110001

संख्या: 2545/तीस-रिट (627)/2024

दिनांक: गोपेश्वर 04 जनवरी, 2025

विषय:

मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-627/2024 में निर्णित आदेश दिनांक 17.09.2024 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-627/2024 में निर्णित आदेश दिनांक 17.09.2024 जिसमें सुनवाई की तिथि दिनांक 07.01.2025 नियत है, का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त निर्णित आदेश के माध्यम से प्रस्तर-06 में उल्लिखित प्रतिवादी मैसर्स, अभ्युदय उत्तराखण्ड स्टोन केशर ग्राम सुनला तहसील थराली द्वारा श्री सुनीत मेहरोत्रा, सदर बाजार रानीखेत जिला अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड को मा0 एन0जी0टी0 में सुनवाई के दौरान उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत निर्देशों के क्रम में प्रतिवादी-03 को कार्यालय पत्र संख्या: 2253/तीस-रिट संख्या-627/2024 दिनांक 23 दिसम्बर, 2024 द्वारा नोटिस जारी करते हुए नोटिस में उनके सतिथि हस्ताक्षर लिये गये हैं।

अतएव तामीली रिपोर्ट सेवा में प्रेषित।

संलग्न: यथोपरि।

भवदीय,

जिलाधिकारी,
चमोली।

03/01/25

क. ज. अ. जिलाधिकारी, चमोली।

संख्या: 225/तीरा-रिट संख्या-627/2024 दिनांक: गोपेश्वर 23 दिसम्बर, 2024


मैसर्स,
अभ्युदय उत्तराखण्ड स्टोन केशर,
ग्राम सुनला तहसील थराली
द्वारा :-श्री सुनीत मेहरोत्रा
सदर बाजार रानीखेत,
जिला अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।

YEAR..... (2024-25)
DATE.....
1. 2024
23-12-24

विषय: मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-627/2024 में निर्णित आदेश दिनांक 17.09.2024 के अनुपालन में सुनवाई हेतु दिनांक 07.01.2025 को मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने के संबंध में।


कृपया उपरोक्त विषयक के कम में अवगत कराना है कि मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-627/2024 में निर्णित आदेश दिनांक 17.09.2024 के अनुपालन में सुनवाई हेतु दिनांक 07.01.2025 की तिथि नियत है, जिसमें सुनवाई हेतु आपके द्वारा प्रतिभाग किया जाना है।

अतएव आपसे अपेक्षा है कि प्रश्नगत प्रकरण की सुनवाई हेतु दिनांक 07.01.2025 को मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में स्वयं प्रतिभाग करने का कष्ट करें।


प्रभारी अधिकारी,
कृते-जिलाधिकारी, चमोली।

प्रभारी अधिकारी

I have Received this letter


02/01/2025

संख्या: 2253/तीस-रिट संख्या-527/2024 दिनांक: गोपेश्वर 23 दिसम्बर, 2024

मैसर्स,

अभ्युदय उत्तराखण्ड स्टोन केशर,

ग्राम सुनला तहसील थराली

द्वारा :-श्री सुनीत मेहरोत्रा

सदर बाजार रानीखेत,


जिला अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।

YEAR..... (2024-25)
DEPART.....
R. STE. 2204
DATE..... 23-12-24

विषय: मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-627/2024 में निर्णित आदेश दिनांक 17.09.2024 के अनुपालन में सुनवाई हेतु दिनांक 07.01.2025 को मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने के संबंध में।

कृपया उपरोक्त विषयक के क्रम में अवगत कराना है कि मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-627/2024 में निर्णित आदेश दिनांक 17.09.2024 के अनुपालन में सुनवाई हेतु दिनांक 07.01.2025 की तिथि नियत है, जिसमें सुनवाई हेतु आपके द्वारा प्रतिभाग किया जाना है।

अतएव आपसे अपेक्षा है कि प्रश्नगत प्रकरण की सुनवाई हेतु दिनांक 07.01.2025 को मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में स्वयं प्रतिभाग करने का कष्ट करें।


प्रभारी अधिकारी,
कृते-जिलाधिकारी, चमोली।

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
चमोली।

सेवा में,

सुश्री अंजली राजपूत,
पैनल अधिवक्ता, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।

संख्या: 2544 / तीस-रिट (627) / 2024

दिनांक: गोपेश्वर 04 जनवरी, 2025

विषय: मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-627/2024 में निर्णित आदेश दिनांक 17.09.2024 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-627/2024 में निर्णित आदेश दिनांक 17.09.2024 जिसमें सुनवाई की तिथि दिनांक 07.01.2025 नियत है, का अवलोकन करने का कष्ट करें। मा0 एन0जी0टी0 में निर्णित आदेश दिनांक 17.09.2024 के अनुपालन में जिला खान अधिकारी, चमोली से अनुपालन आख्या प्राप्त की गई। प्राप्त अनुपालन आख्या निम्नवत प्रेषित है :-

1- उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1933/VII-1/18 स्टोन केशर/2016, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 के द्वारा मैसर्स, अभ्युदय उत्तराखण्ड कम्पनी, रानीखेत, जिला अल्मोड़ा के पक्ष में ग्राम सुनला, तहसील थराली जनपद चमोली क्षेत्रान्तर्गत खसरा संख्या-555, 556 म0 557, 561 म0 562 म0 कुल रकवा 0.132 है0 भूमि में 20 टन प्रति घंटा क्षमता के स्टोन केशर प्लांट की स्थापना/संचालन की 05 वर्ष की अवधि हेतु कतिपय शर्तों के अधीन प्रदान की गयी है। (अनुलग्नक-1)

2- भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, भोपालपानी, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2117/स्टो0के0नवी0/खनन/भू0खनि0ई0/चमो0/2021-2022 दिनांक 24 सितम्बर, 2021 के द्वारा मैसर्स, अभ्युदय उत्तराखण्ड कम्पनी, रानीखेत, जिला अल्मोड़ा के पक्ष में उक्त स्वीकृत स्टोन केशर के नवीनीकरण की अनुमति उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1480/VII-A-1/68 रिट/टी0सी0 दिनांक 08 सितम्बर, 2021 से आगामी 10 वर्ष की अवधि हेतु कतिपय शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की गयी है। (अनुलग्नक-2 एवं 03)

3- वर्तमान में उक्त स्टोन केशर के संचालन हेतु पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 31.03.2027 तक की अनुमति प्रदान की गयी है। (अनुलग्नक-4)


4- याचिकाकर्ता श्री गोपाल चन्द्र बनवासी पुत्र मदन राम निवासी ग्राम रीठा पो0 कन्धार तहसील गरुड़ जिला बागेश्वर के प्रार्थना पत्र दिनांक 18.04.2024 के क्रम में उक्त स्वीकृत/नवीनीकृत स्टोन केशर प्लांट का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 19.06.2024 को राजस्व विभाग तथा भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग चमोली के उपस्थित अधिकारी द्वारा किया गया। (अनुलग्नक-5)

5- मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में निर्णित आदेश दिनांक 17.09.2024 के प्रस्तर-06 में उल्लिखित प्रतिवादी मैसर्स, अभ्युदय उत्तराखण्ड स्टोन केशर ग्राम सुनला तहसील थराली द्वारा श्री सुनीत मेहरोत्रा, सदर बाजार रानीखेत जिला अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड को मा0 एन0जी0टी0 में सुनवाई के दौरान उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत निर्देशों के क्रम में प्रतिवादी-03 को कार्यालय पत्र संख्या: 2253/तीस-रिट संख्या-627/2024 दिनांक 23 दिसम्बर, 2024 द्वारा नोटिस जारी करते हुए नोटिस में उनके सतिथि हस्ताक्षर लिये गये हैं (अनुलग्नक-6)

अतः मा0 एन0जी0टी0 में निर्णित आदेश दिनांक 17.09.2024 की अनुपालन आख्या सादर सम्प्रेषित।

संलग्न: यथोपरि।

भवदीय,


प्रभारी अधिकारी,
कृते-जिलाधिकारी, चमोली।

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
चमोली।

सेवा में,

सुश्री अंजली राजपूत,
पैनल अधिवक्ता, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।

संख्या: 2544 / तीस-रिट (627) / 2024

दिनांक: गोपेश्वर 04 जनवरी, 2025

विषय: मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-627/2024 में निर्णित आदेश दिनांक 17.09.2024 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-627/2024 में निर्णित आदेश दिनांक 17.09.2024 जिसमें सुनवाई की तिथि दिनांक 07.01.2025 नियत है, का अवलोकन करने का कष्ट करें। मा0 एन0जी0टी0 में निर्णित आदेश दिनांक 17.09.2024 के अनुपालन में जिला खान अधिकारी, चमोली से अनुपालन आख्या प्राप्त की गई। प्राप्त अनुपालन आख्या निम्नवत प्रेषित है :-

1- उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1933/VII-1/18 स्टोन केशर/2016, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 के द्वारा मैसर्स, अभ्युदय उत्तराखण्ड कम्पनी, रानीखेत, जिला अल्मोड़ा के पक्ष में ग्राम सुनला, तहसील थराली जनपद चमोली क्षेत्रान्तर्गत खसरा संख्या-555, 556 म0 557, 561 म0 562 म0 कुल रकवा 0.132 है0 भूमि में 20 टन प्रति घंटा क्षमता के स्टोन केशर प्लांट की स्थापना/संचालन की 05 वर्ष की अवधि हेतु कतिपय शर्तों के अधीन प्रदान की गयी है। (अनुलग्नक-1)


2- भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, भोपालपानी, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2117/स्टो0के0नवी0/खनन/भू0खनि0ई0/चमो0/2021-2022 दिनांक 24 सितम्बर, 2021 के द्वारा मैसर्स, अभ्युदय उत्तराखण्ड कम्पनी, रानीखेत, जिला अल्मोड़ा के पक्ष में उक्त स्वीकृत स्टोन केशर के नवीनीकरण की अनुमति उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1480/VII-A-1/68 रिट/टी0सी0 दिनांक 08 सितम्बर, 2021 से आगामी 10 वर्ष की अवधि हेतु कतिपय शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की गयी है। (अनुलग्नक-2 एवं 03)

3- वर्तमान में उक्त स्टोन केशर के संचालन हेतु पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 31.03.2027 तक की अनुमति प्रदान की गयी है। (अनुलग्नक-4)

4- याचिकाकर्ता श्री गोपाल चन्द्र बनवासी पुत्र मदन राम निवासी ग्राम रीठा पो0 कन्धार तहसील गरुड़ जिला बागेश्वर के प्रार्थना पत्र दिनांक 18.04.2024 के क्रम में उक्त स्वीकृत/नवीनीकृत स्टोन केशर प्लांट का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 19.06.2024 को राजस्व विभाग तथा भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग चमोली के उपस्थित अधिकारी द्वारा किया गया। (अनुलग्नक-5)

5- मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में निर्णित आदेश दिनांक 17.09.2024 के प्रस्तर-06 में उल्लिखित प्रतिवादी मैसर्स, अभ्युदय उत्तराखण्ड स्टोन केशर ग्राम सुनला तहसील थराली द्वारा श्री सुनीत मेहरोत्रा, सदर बाजार रानीखेत जिला अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड को मा0 एन0जी0टी0 में सुनवाई के दौरान उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत निर्देशों के क्रम में प्रतिवादी-03 को कार्यालय पत्र संख्या: 2253/तीस-रिट संख्या-627/2024 दिनांक 23 दिसम्बर, 2024 द्वारा नोटिस जारी करते हुए नोटिस में उनके सतिथि हस्ताक्षर लिये गये हैं (अनुलग्नक-6)

अतः मा0 एन0जी0टी0 में निर्णित आदेश दिनांक 17.09.2024 की अनुपालन आख्या सादर सम्प्रेषित।
संलग्न: यथोपरि।

भवदीय,

प्रभारी अधिकारी,
कृते-जिलाधिकारी, चमोली।

YEAR..... (2024-25)
DEPT.....
R. NO. 3062
DATE..... 04-1-25

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, चमोली।

Address - Near Gas Agency, Gopeshwar

E-Mail- dtfchamoli@gmail.com

सेवा मे,

जिलाधिकारी,
चमोली।

पत्रांक : 795/भू0खनि0वि0/च0/रिट या0सं0 627/2024/2024-25, दिनांक 27 दिसम्बर 2024
विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली मे योजित मूल आवेदन संख्या-627/2024 विषयक।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली मे योजित मूल आवेदन संख्या-627/2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिस पर कार्यालय जिलाधिकारी के टिपणन आदेश सं0 No. 8781/तीस-रिट/2024, दिनांक 05.11.2024 के द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर कृत कार्यवाही से अवगत कराये जाने के निर्देश दिये गये है। उक्त के अनुपालन मे अवगत कराना है कि :-
1.- उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1933/VII-1/18 स्टोन केशर/2016, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 के द्वारा मैसर्स, अभ्युदय उत्तराखण्ड कम्पनी, रानीखेत, जिला अल्मोड़ा के पक्ष में ग्राम सुनला, तहसील थराली जनपद चमोली क्षेत्रान्तर्गत खसरा संख्या-555, 556 म0 557, 561 म0 562 म0 कुल रकवा 0.132 है0 भूमि में 20 टन प्रति घंटा क्षमता के स्टोन केशर प्लांट की स्थापना/संचालन की 05 वर्ष की अवधि हेतु कतिपय शर्तों के अधीन प्रदान की गयी है। (अनुलग्नक-1)

2-भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, भोपालपानी, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2117/स्टो0के0नवी0/खनन/भू0खनि0ई0/चमो0/2021-2022 दिनांक 24 सितम्बर, 2021 के द्वारा मैसर्स, अभ्युदय उत्तराखण्ड कम्पनी, रानीखेत, जिला अल्मोड़ा के पक्ष में उक्त स्वीकृत स्टोन केशर के नवीनीकरण की अनुमति उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1480/VII-A-1/68 रिट/टी0सी0 दिनांक 08 सितम्बर, 2021 से आगामी 10 वर्ष की अवधि हेतु कतिपय शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की गयी है। (अनुलग्नक-2)

3-वर्तमान में उक्त स्टोन केशर के संचालन हेतु पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 31.03.2027 तक की अनुमति प्रदान की गयी है। (अनुलग्नक-3)

4-याचिकाकर्ता श्री गोपाल चन्द्र बनवासी पुत्र मदन राम निवासी ग्राम रीठा पो0 कन्धार तहसील गरुड़ जिला बागेश्वर के प्रार्थना पत्र दिनांक 18.04.2024 के क्रम में उक्त स्वीकृत/नवीनीकृत स्टोन केशर प्लांट का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 19.06.2024 को राजस्व विभाग तथा भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग चमोली के उपस्थित अधिकारी द्वारा किया गया। (अनुलग्नक-4)

अतः प्रश्नगत प्रकरण मे उक्तानुसार आख्या महोदय की सेवा मे आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

Nasir Hasan

(नाजिया हसन)
खान अधिकारी,
चमोली।


संख्या: 2253/तीस-रिट संख्या-527/2024 दिनांक: गोपेश्वर 23 दिसम्बर, 2024

मैसर्स,
अभ्युदय उत्तराखण्ड स्टोन केशर,
ग्राम सुनला तहसील थराली
द्वारा :-श्री सुनीत मेहरोत्रा
सदर बाजार रानीखेत,
जिला अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।

विषय: मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-627/2024 में निर्णित आदेश दिनांक 17.09.2024 के अनुपालन में सुनवाई हेतु दिनांक 07.01.2025 को मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने के संबंध में।

कृपया उपरोक्त विषयक के क्रम में अवगत कराना है कि मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-627/2024 में निर्णित आदेश दिनांक 17.09.2024 के अनुपालन में सुनवाई हेतु दिनांक 07.01.2025 की तिथि नियत है, जिसमें सुनवाई हेतु आपके द्वारा प्रतिभाग किया जाना है।

अतएव आपसे अपेक्षा है कि प्रश्नगत प्रकरण की सुनवाई हेतु दिनांक 07.01.2025 को मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में स्वयं प्रतिभाग करने का कष्ट करें।


प्रभारी अधिकारी,
कृते-जिलाधिकारी, चमोली।

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-1
संख्या: 1933/VII-1/18 स्टोन केशर/...
देहरादून: दिनांक: 22 दिसम्बर, 2016

21/11/16
26-12-2016

कार्यालय ज्ञाप

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड द्वारा अपने पत्र सं० संख्या-423/स्टो०क्रै०/मू०खनि०ई०/2016-17 दिनांक 16 जुलाई, 2016 द्वारा मै० अभ्युदय उत्तराखण्ड क० रानीखेत, जिला अल्मोड़ा को ग्राम सुनला, तहसील थराली, जनपद चमोली के स्थान हेलंग के क्षेत्रान्तर्गत खसरा संख्या 555, 556म०, 557, 561म०, 562म० कुल रकवा 0.132 है० नाप भूमि में स्टोन केशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पत्वारईजर, मोबाईल स्टोन केशर अनुज्ञा नीति, 2015 के अन्तर्गत 200 टन प्रतिदिन क्षमता का स्टोन केशर स्थापना/संचालन हेतु 05 वर्ष की अवधि हेतु अनुज्ञा स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है। आवेदक मै० अभ्युदय उत्तराखण्ड क० रानीखेत, जिला अल्मोड़ा को ग्राम सुनला, तहसील थराली, जनपद चमोली के स्थान हेलंग के क्षेत्रान्तर्गत खसरा संख्या 555, 556म०, 557, 561म०, 562म० कुल रकवा 0.132 है० नाप भूमि में उत्तराखण्ड स्टोन केशर स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2016 यथासंशोधित 14.12.2016 के अन्तर्गत 20 टन प्रतिघंटा क्षमता का स्टोन केशर स्थापना/संचालन हेतु 05 (पांच) वर्ष की अवधि के लिए अनुज्ञा निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

1. स्टोन केशर स्वामी द्वारा स्टोन केशर स्थापना/संचालन से पूर्व उत्तराखण्ड स्टोन केशर स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2016 यथासंशोधित 14.12.2016 के अध्याय-II में पर्वतीय क्षेत्र हेतु निर्धारित अवशेष आवेदन शुल्क निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किया जाना होगा।
2. स्टोन केशर स्वामी स्टोन केशर परिसर में कच्चेमाल/तैयार माल का भण्डारण एवं परिवहन उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2015 यथासंशोधित, 2016 के अधीन करेगा।
3. स्टोन केशर स्वामी स्टोन केशर प्लान्ट संयंत्र (Equipment) को परिसर की चाहरदीवारी के अन्दर स्थापित करेगा।
4. स्टोन केशर स्वामी द्वारा स्टोन केशर प्लान्ट इकाई के चारों तरफ चाहरदीवारी का निर्माण किया जाना आवश्यक होगा, जो उपखनिजों के भण्डारण की ऊँचाई से कम से कम 01 मी० उंची होगी।
5. स्टोन केशर स्वामी द्वारा भण्डारण ऊँचाई का सत्यापन खान अधिकारी भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि से कराया जाना होगा।
6. स्टोन केशर स्वामी द्वारा यदि कच्चे माल/तैयार माल के भण्डारण की ऊँचाई निर्धारित मानक से अधिक किया जाना पाया गया, तो स्टोन केशर स्वामी पर ₹ दो लाख तक का अर्ध दण्ड अधिरोपित किया जायेगा, जो निर्धारित खनिज लेखाशीर्षक में जमा कराया जायेगा।
7. स्टोन केशर स्वामी द्वारा ऐसा संयंत्र स्थापित करना अनिवार्य होगा, जिससे धूल के कणों SPM (Suspended Particulate Matter) का उत्सर्जन: 800 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ से कम हो।
8. स्टोन केशर स्वामी द्वारा ऐसा संयंत्र स्थापित करना अनिवार्य होगा, जिससे ध्वनि प्रदूषण दिन में 75 dB(A)Leq एवं रात्री समय में 70 dB(A)Leq से कम हो।
9. स्टोन केशर तथा कच्चेपर बेल्ट को covered shed सेड के अन्दर स्थापित करना होगा। धूल जनित बिन्दुओं पर water sprinkler लगाने होंगे।
10. स्टोन केशर स्वामी द्वारा स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के अन्दर के सभी मार्ग पक्के करने होंगे।
11. स्टोन केशर स्वामी द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र से धूल हटाने की व्यवस्था तथा भूमि पर पानी का नियमित छिड़काव करने की व्यवस्था करनी होगी जिससे कि धूल हवा में न उड़े।

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
मोपालपानी, देहरादून।

संख्या : 2117/स्टो0क्रे0नवी0/खनन/भू0खनि0ई0/चमो0/2021-22.

दिनांक 24 सितम्बर 2021

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1480/VII-A-1/2021/68 रिट/टीसी-1, दिनांक 8 सितम्बर 2021 के द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाइल स्टोन क्रेशर, मोबाइल स्क्रीनिंग प्लांट, पत्थराईजर प्लांट, हाट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट, अनुज्ञा नीति, 2020 के अध्याय-III के बिन्दु संख्या 1 के उप बिन्दु 2 में संशोधन किया गया है कि- स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट का नवीनीकरण जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु की जायेगी। परन्तु वर्तमान में कोविड-19 (Covid-19) के महामारी के प्रभाव एवं संक्रमण की सम्भावनाओं एवं Ease of Doing Business के दृष्टिगत पूर्व से स्वीकृत तथा संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट एवं प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की अनुज्ञा का नवीनीकरण (मा0 न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश द्वारा बन्द या सीज की गयी इकाईयों को छोड़कर) आवेदक इकाई द्वारा नवीनीकरण शुल्क जमा किये जाने एवं आवेदन पत्र के साथ नीति में निर्धारित मानकों/प्रावधानों को पूर्ण किये जाने से सम्बन्धित शपथ पत्र के द्वारा स्वप्रमाणपन (Self Certification) प्रस्तुत किये जाने पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण/जॉच करने के उपरान्त आगामी 10 वर्ष की अवधि हेतु नवीनीकरण किया जायेगा, प्रतिबन्ध यह कि यह परन्तुक उक्त नीति प्रख्यापित होने की तिथि से 01 माह तक ही प्रवृत्त एवं प्रभावी होगा। शासन के पत्र संख्या 1551/VII-A-1/2021-68 रिट/08 टीसी-1, दिनांक 08 सितम्बर 2021 के द्वारा स्टोन क्रेशर नीति, 2020 में उक्तानुसार किये गये प्रावधान के सफल एवं सुचारु क्रियान्वयन हेतु श्री राजपाल लेधा, उप निदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, जनपद नैनीताल को एतद्वारा नोडल अधिकारी नामित किया गया है। शासन के उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप के क्रम में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय आदेश संख्या 2055/खनन/भू0खनि0ई0/2021-22, दिनांक 21 सितम्बर 2021 के द्वारा पूर्व से स्वीकृत/संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांटों तथा प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की अनुज्ञा का नवीनीकरण आदेश नीतिगत समस्त नियमों का पालन कराते हुए नवीनीकरण आदेश निर्गत किये जाने हेतु अधोहस्ताक्षरी को एतद्वारा अधिकृत किया गया है।

नोडल अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून द्वारा पत्र संख्या 17/भू0खनि0ई0/स्टो0क्रे0नवी0/चमो0/2021-22, दिनांक 24 सितम्बर 2021 के द्वारा मै0 अभ्युदय उत्तराखण्ड कम्पनी, रानीखेत जिला अल्मोड़ा के पक्ष में ग्राम सुनला, तहसील थराली, जनपद चमोली के क्षेत्रान्तर्गत खसरा सं0 554/1764 म0, 541/1765 म0, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 561 व खसरा संख्या 562, कुल रकवा 0.283 है0 (उपलब्ध कराये गये खसरा विवरण के अनुसार) नाप भूमि में पूर्व से स्वीकृत/स्थापित स्टोन क्रेशर के संचालन की अनुज्ञा का नवीनीकरण मय भण्डारण अनुज्ञा सहित दिनांक 22 दिसम्बर 2021 से आगामी 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1, सं0 1933/VII-1/18 स्टोन क्रेशर/2016 देहरादून दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 द्वारा मै0 अभ्युदय उत्तराखण्ड कम्पनी, रानीखेत जिला अल्मोड़ा को ग्राम सुनला, तहसील थराली, जनपद चमोली के क्षेत्रान्तर्गत खसरा सं0 555, 556म0, 557, 561म0, 562म0, कुल रकवा 0.132 है0 नाप भूमि में उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाइल स्टोन क्रेशर, मोबाइल स्क्रीनिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति 2016 यथासंशोधित 14.12.2016 के अन्तर्गत 20 टन प्रति घंटा क्षमता का स्टोन क्रेशर स्थापना/संचालन हेतु आदेश में वर्णित शर्तों के अधीन 05 वर्ष की अवधि के लिये अनुज्ञा स्वीकृत की गयी है।

नोडल अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून के पत्र संख्या 17/भू0खनि0ई0/स्टो0क्रे0नवी0/चमो0/2021-22, दिनांक 24 सितम्बर 2021 के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव

के क्रम उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 के कर्तव्यता प्राप्त संख्या 1480/VII-A-1/2021/68 रिट/टीसी-1, दिनांक 8 दिसम्बर 2021 के अध्याय-III के बिन्दु संख्या 1 तथा बिन्दु 2 में निहित प्राक्धान के अन्तर्गत 10 अभ्युदय उत्तराखण्ड कानूनी, सार्वजनिक विभाग अधीनस्थ है जो कि पत्तन सुन्दरा तहसील धराली, जनपद घमोली के क्षेत्रांतर्गत खसरा सं० 552/1764 पन्, 541/1766 पन्, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 561 व खसरा संख्या 562, कुल एकता 0.283 है। (उपरोक्त कसरे गये खसरा विवरण के अनुसार) जंगल भूमि में पूर्व से स्वीकृत/स्थापित 20 टन/घंटा क्षमता के स्टोन क्रेशर के संचालन की अनुमति का पत्र प्राप्त हुआ अनुज्ञा सहित दिनांक 22 दिसम्बर 2021 से आगामी 10 वर्ष की अवधि के लिए निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जाता है-

शर्तें :

1. उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्वीनिंग प्लान्ट, पत्थराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति-2020 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 7 "स्टोन क्रेशर/स्कीनिंग प्लांट अनुज्ञा देने हेतु शर्तें" में उल्लिखित समस्त शर्तों (बिन्दु संख्या 1 से 14 तक) का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा ई-रवन्ना पोर्टल बन्द किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
2. स्टोन क्रेशर नीति के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 7 (15) व बिन्दु संख्या 9 की अनुपालना मा0 न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं० 1645/एम0एस0/2020 बलविन्दर सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुसार की जानी होगी।
3. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 7 (16) के अनुसार प्लांट संचालन से पूर्व पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से Consent to Operate लिया जाना अपरिहार्य होगा।
4. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 6 (क) के अनुसार स्टोन क्रेशर संचालक को क्रशड मैटेरियल (ग्रिट एवं डस्ट) की मात्रा पर रू० 1.00 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि तथा क्रेशर प्लांट में छाने गये उपखनिज (बालू, बजरी) की मात्रा पर रू० 0.25 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में निर्धारित लेखाशीर्षक-0853 अलौह धातु कर्म एवं खनन उद्योग में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
5. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 6 (ख) के अनुसार स्टोन क्रेशर के स्वामी के द्वारा प्लांट के प्रवेश में व निकासी गेटों पर कम्प्यूटराईज्ड धर्मकाटा एवं सी0सी0टी0वी0 कैमरा स्वयं के व्यय पर स्थापित करेगा तथा रिर्काडिंग की सी0डी0 प्रत्येक माह जिलाधिकारी एवं भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के जनपदीय कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। तदनुसार निदेशक को सूचित किया जायेगा।
6. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 6 (ग) के अनुसार भण्डारण की जांच/पैमाइश के उपरान्त यदि भण्डारित उपखनिज की मात्रा भण्डारणकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं वास्तविक पैमाइश के अनुसार मिलान करने पर 5 प्रतिशत से अधिक का अन्तर पाया जाता है, तो नियमावली के नियम 13(5)(ख) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
7. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 6 (घ) के अनुसार स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क जमा न करने की दशा में खनिजों के परिवहन हेतु संबंधित जिला खान अधिकारी द्वारा ई-प्रपत्र "जे" जारी नहीं किया जायेगा।
8. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 6 (ड.) के अनुसार स्टोन क्रेशर प्लांट द्वारा वन क्षेत्र से क्रय किये गये उपखनिज को प्लांट में Process किये जाने के उपरान्त crushed material/Screened material का स्वरूप परिवर्तन होने के फलस्वरूप Processed material वन उपज की श्रेणी में नहीं आयेगा।
9. उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1, सं० 1933/VII-1/18 स्टोन क्रेशर/2016 देहरादून दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 व प्लांट स्वामी के आवेदन प्रपत्र में उल्लिखित प्लांट की क्षमता 20 टन प्रति घंटा तथा प्लांट संचालन की अवधि औसतन 10 घंटा प्रतिदिन के आधार पर वर्षाकाल (जुलाई-सितम्बर) की अवधि (90 दिन) हेतु कच्चे माल/आर0बी0एम0 की कुल मात्रा अर्थात् स्टोन क्रेशर हेतु कच्चे माल की एक समय में भण्डारण क्षमता $90 \times 20 \times 10 = 18,000$ टन तथा वर्षाकाल से भिन्न अवधि अर्थात् अक्टूबर से जून

तक की अवधि हेतु कच्चे माल की एक समय में भण्डारण क्षमता 45×20×10=9,000 टन होती है तथा वर्ष में 72,000 टन कच्चे माल की आवश्यकता होगी।

10. उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्कीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति-2020 के अनुसार प्लांट की वार्षिक क्षमता का आकलन नीति के अध्याय-1 के विन्दु संख्या 9 में गठित समिति से कराये जाने के उपरान्त ही प्लांट की वार्षिक क्षमता निर्धारित की जा सकेगी।
11. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-III के विन्दु संख्या 3 (1) के अनुसार प्लांट स्वामी के द्वारा शासन की नीति के विपरीत कार्य करने पर जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा प्लांट स्वामी को सुनवाई का युक्ति-युक्त अगसर प्रदान करने के उपरान्त गुण-दोष के आधार पर अनुज्ञा रद्द करने का निर्णय लिया जायेगा।
12. यदि प्लांट स्वामी के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्लांट स्वामी की होगी तथा गलत अभिलेख पाये जाने की पुष्टि होने की दशा में प्लांट के नवीनीकरण की अनुज्ञा निरस्त किये जाने की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।
13. प्लांट स्वामी के द्वारा उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 906/VII-1/2020/158 ख-04 टीसी, दिनांक 15 जुलाई 2020 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2020 में उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
14. प्लांट स्वामी के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, मा0 उच्चतम न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

24/09/2021
(एस0एल0 पैट्रिक)
अपर निदेशक।

संख्या: 2117/स्टो0क्रेश0नवी0/खनन/भू0खनि0ई0/चमो0/2021-22,
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

तद्दिनांकित।

1. सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, चमौली।
4. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्बन्धित मानकों को पूर्ण करने हेतु, जो भी शर्तें निर्धारित हैं, उनका अनुपालन Consent to Operate देने से पूर्व कराना सुनिश्चित करें।
5. उपनिदेशक (खनन)/नोडल अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून।
6. मै0 अभ्युदय उत्तराखण्ड कम्पनी, रानीखेत जिला अल्मोड़ा।

(एस0एल0 पैट्रिक)
अपर निदेशक।

28/09/2021

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1
संख्या: /480/VII-A-1/2021/68 रिट/टीसी-1
देहरादून, दिनांक: 08 सितम्बर, 2021

कार्यालय ज्ञाप

राज्यपाल, उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2020 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नीति बनाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा (द्वितीय संशोधन) नीति, 2021

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ

1. (1) इस नीति का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा (द्वितीय संशोधन) नीति, 2021 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

अध्याय-III के
बिन्दु सं० 1 का
संशोधन

2. उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2020 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान अध्याय-III के बिन्दु सं० 1 के उप बिन्दु (2) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:

स्तम्भ-1

विद्यमान उपबंध

(2) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट का नवीनीकरण जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी /मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु की जायेगी।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित उपबंध

(2) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट का नवीनीकरण जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी /मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु की जायेगी।

परन्तु वर्तमान में कोविड-19 (Covid-19) के महामारी के प्रभाव एवं संक्रमण की संभावनाओं एवं Ease of Doing Business के दृष्टिगत पूर्व से स्वीकृत तथा संचालित स्टोन क्रेशर /स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं प्लान्ट परिसर में उपखनिज भण्डारण की अनुज्ञा का नवीनीकरण (मा० न्यायालय, मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश द्वारा बन्द या सीज की गयी इकाईयों को छोड़कर) आवेदक इकाई द्वारा नवीनीकरण शुल्क जमा किये जाने एवं आवेदन पत्र

-2-

के साथ नीति में निर्धारित मानकों/ प्रावधानों को पूर्ण किये जाने से संबंधित शपथ पत्र के द्वारा स्वप्रमाणन (Self Certification) प्रस्तुत किये जाने पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा संबंधित अभिलेखों का परीक्षण/ जांच करने के उपरान्त आगामी 10 वर्ष की अवधि हेतु नवीनीकरण किया जायेगा, प्रतिबन्ध यह कि यह परन्तुक उक्त नीति प्रख्यापित होने की तिथि से 01 माह तक ही प्रवृत्त एवं प्रभावी होगा।

आज्ञा से,

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव



UKPCB/ROD/Con/CH-68/2022-23/1975-1979

Date: 10/12/2021
RECD. POST

To,
M/s Abhyuday Uttarakhand
Vill. Sunala, Tehsil Tharali
Distt. Chamoli.

Consolidated Consent to Operate and Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) (Renewal) under Section-25 of the "Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974" and under Section-21 of the "Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981" and Authorization under "Rule-6(2) of the "Hazardous and other Waste (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016" notified under "Environment (Protection) Act, 1986" as applicable (to be referred hereinafter as Water Act, Air Act and HW Rules respectively).

Application No. 1938089 Dated : 10.12.2021

CCA is hereby granted to M/s Abhyuday Uttarakhand located at Vill. Sunala, Tehsil Tharali, Distt. Chamoli subject to the provisions of the Water Act, Air Act and HW Rules and the orders that may be made further and subject to following terms and conditions :-

1. This CCA is granted up to 31.03.2027 and valid for manufacturing of following products with Capital Investment / Net Assets Values 268.50 Lakhs:-

S. No.	Last CCA		Present CCA (Renewal)	
	Product	Quantity	Product	Quantity
1	Stone Grits	6000 MT/Month	Stone Grits	6000 MT/Month

2. Specific Conditions under Water Act:

- (i) The daily quantity of effluent discharge (KLD) :-

	Last CCA	Present CCA (Renewal)
	Trade Effluent	Nil.
Sewage	0.5 KLD	0.5 KLD

- (ii) Trade effluent treatment and disposal - Nil.

- (iii) Sewage Treatment and Disposal: The domestic waste water generated should be treated and disposed as per norms.

3. Conditions under Air Act :-

- (i). The applicant shall use following fuel and install a comprehensive control system consisting of control equipment as is required with reference to generation of emissions and operate and maintain the same continuously so as to achieve the level of pollutants to the following standards

S. No	Stack attached with	Stack height (Mt)	Type of Fuel	Fuel Quantity KLD/MTD	Emission Control Equipment	Emission standards not to exceed
1.	D.G. Set (125 KVA)	8.0	HSD	.	Acoustic Enclosure	-

Ambient Air Quantity

Suspended Particulate Matter (SPM)	Not to Exceed
------------------------------------	---------------

In case of stoppage of functioning of air pollution control equipment, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately.

- (ii) Noise from the D.G. Set and other source(s) should be controlled by providing an acoustic enclosure as is required for meeting the ambient noise standards for night and day time as prescribed for respective areas/zones (Industrial, Commercial, Residential, Silence) which are as follows :-

Standards for Noise level in db(A) Leq	Industrial Area		Commercial Area		Residential Area		Silence Zone	
	Day time	Night time	Day time	Night time	Day time	Night time	Day time	Night time
	75	70	65	55	55	45	50	40

Day time : from 6.00 a.m. to 10.00 p.m., Night time: from 10.00 p.m. to 6.00 a.m.

4. Conditions under HW Rules :-

- (i) Number of authorization and date of issue :
- (ii) The Factory Manager of M/s Abhyuday Uttarakhand is hereby granted an authorization to operate a facility for collection and storage of Hazardous wastes.
- (iii) The authorization is granted to operate a facility for generation, collection and storage of hazardous wastes within factory premises for following category of wastes.

S.No.	Category (Schedule-I & Schedule-II)	Quantity of Waste for which authorization is being issued (MTA)	Mode of Disposal
1	Schedule I - 5.1	0.010 MT	Store in MS Drum, Recyclable

- (iv) The authorization shall be in force for 31.03.2027.
- (v) The authorization is subject to the conditions stated below and the such conditions as may be specified in the rules for the time being in force under Environment (Protection) Act, 1986.

Terms and conditions of authorization:

- (i) The authorization shall comply with the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986, and the rules made thereunder.
- (ii) The authorization and its renewal shall be produced for inspection at the request of an officer authorized by the SPCB/PCC.
- (iii) The person authorized shall not rent, lend, sell, transfer or otherwise transport the hazardous wastes without obtaining prior permission of the SPCB/PCC.
- (iv) Any unauthorized changes in personnel, equipment as working conditions as mentioned in the application by the person authorized shall constitute a breach of his authorization.
- (v) It is the duty of the authorized person to take prior permission of the SPCB/PCC to close down the facility.
- (vi) An application for the renewal of an authorization shall be made as laid down under these rules.
- (vii) The unit shall comply with any other conditions specified in the guidelines issued by the MoEF or CPCB/SPCB from time to time.

5. This CCA is valid for **Crushing and Screening Process** only.

6. Compulsory documents to be submitted by the Industry/Unit :-

- (i) Annual return in Form-4 and Waste Disposal Manifest in Form-10 under HW Rules and Third Party Audit Report.
- (ii) Environment Statement in Form-V of Environment (Protection) Rules, 1986.
- (iii) Quarterly compliance report of the CCA, photograph of ETP/APCs/Waste Storage Area.

7. Unit has to apply for renewal of CCA well in advance of 60 days of expiry of this CCA.

Competent Authority to issue the order for enforcement of the provisions of the CCA
 Unit has to comply with the orders issued by the competent authority in any provision of the CCA and provisions of the Water Act, Air Act and Environment (Protection) Act made there under the above said Act and Rules.

Regional Officer (Ec)

Copy to Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun for Enforcement
 please

Regional Officer (Ec)
 Amnagar

Specific Conditions:

1. The applicant shall submit analytical test reports of the unit at the end of each financial year so that its compliance with the applicable standards is ascertained.
 2. A solid waste generated from the industry has to be disposed in manner so that contamination of surface water bodies, ground water etc. does not take place.
 3. The industry shall take adaptive measures to control of noise from its own sources, so as to comply with the standards, as applicable.
 4. The applicant shall develop green belt within the premises.
 5. The industry shall comply with the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Amendment Rules, 2016 notified under the Environment (Protection) Act, 1986 (as amended).
 6. The industry shall strictly follow with the specific and general conditions issued with CCA order. Any violation of stipulated conditions may attract legal action under the provisions of Water Act, Air Act and Environment (Protection) Act and Rules made there under.
 7. The industry shall ensure all safety measures and shall undertake periodical assessment by the competent authority.
 8. The industry situated nearby the Piver Ganga and its tributaries, shall ensure the treatment facilities and disposal arrangement in such a way so that no waste water is discharged in water stream or water bodies.
 9. Unit shall strictly comply with the provisions of the The Public Liability Insurance Act, 1991 as amended and Rules made there under and shall submit copies of Insurance Policies (if any) to the Board Officers regularly.
 10. There should be no effluent discharge outside the unit premises.
 11. The Stone crushing unit shall ensure all measures for pollution control as specified under the Environment (Protection) Act, 1986 and Rules made there under, so that ambient air quality not exceed to prescribed limit at any time.
 12. The Stone Crushing Units/Screening Plants/Mobile Stone Crusher/Mobile Screening Plants/Hot Mix Plants/Ready Mix Plants shall strictly follow the Uttarakhand Stone Crushing Units/Screening Plants/Mobile Stone Crusher/Mobile Screening Plants/Hot Mix Plants/Ready Mix Plants Amnagar Nithi - 2021 (as amended time to time), promulgated by the State Government.
 13. This consent is valid for Crushing and Screening only. If any change in process, product, capacity, unit must be obtained fresh CCE/COP as per Act.
 14. This CCA valid for crushing of raw material (River Bed Materials) obtained from legitimate sources only.
 15. The unit shall not operate during night hours as defined under Noise Rules-2000.
 16. The CCA is valid for domestic effluent only. Industrial effluent should not be generated.
 17. The unit shall ensure to submit compliance report along with ambient air quality report in every 6 months.
 18. Unit shall ensure to control air quality followed by regular spray water in premises and link road.
 19. Unit should comply as per the measures given in E.P. Rule-1986 as amended time to time.
 20. Unit should have all the valid permissions from the State Government and the concerning departments.
 21. Unit should not operate without permission from Government (Amnagar) and should have all the valid permissions from the concerning departments.
2. This CCA issued in accordance with the license given by the District Magistrate vide no. 2417/Stone Crusher ren/Kh/2021 Dated. 24.09.2021 at any stage, if the said permission is suspended/cancelled, this CCA will be deemed cancelled.
- . This Consent is being issued as per the letter issued by Secretary Government of Uttarakhand vide letter no. 1590/VII-A-1/2021/9(241)/2019 dated 15-09-2021 subject to the final adjudication of the writ petition (PIL) 212/2019 before Hon'ble High Court of Uttarakhand (Trilok Chand Vs State of Uttarakhand).

... of the ...
... of the ...
... of the ...

... of the ...
... of the ...
... of the ...

Specific Conditions

1. The ...
2. The ...
3. The ...
4. The ...
5. The ...
6. The ...
7. The ...
8. The ...
9. The ...
10. The ...
11. The ...
12. The ...
13. The ...
14. The ...
15. The ...
16. The ...
17. The ...
18. The ...
19. The ...
20. The ...
21. The ...
22. The ...
23. This Consent is being issued as per the letter issued by Secretary Government of Uttarakhand vide letter no. 15093/11-A/2021/9(244)/2019 dated 15-09-2021 subject to the final adjudication of the writ petition (PIL) 212/2019 before Hon'ble High Court of Uttarakhand (Prithvi Chand Vs State of Uttarakhand)

संयुक्त निरीक्षण आख्या
(अभ्युदय स्टोन क्रेशर, कुलसारी)

उप जिलाधिकारी, थराली के पत्र सं० 130/रीडर-विधि पत्रा०/2024, दिनांक 20 मई 2024 तथा शिकायतकर्ता श्री गोपाल सिंह वनवारी पुत्र श्री गदन राम निवारी ग्राम रीठा पोस्ट कन्धार, तहसील गरुड, जिला बागेश्वर के प्रार्थना पत्र दिनांक 18.04.2024 के क्रम में उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 संख्या 1933/VII-1/18 स्टोन क्रेशर/2018, दिनांक 22 दिसम्बर 2018 के द्वारा मैसर्स अभ्युदय उत्तराखण्ड कम्पनी, रानीखेत, जिला अल्मोडा के पक्ष में ग्राम सुनला, तहसील थराली, जनपद चमोली क्षेत्रान्तर्गत खसरा सं० 554/1764 ग०, 541/1765 ग०, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 561 व खसरा सं० 562 कुल रकबा 0.283 है० भूमि में स्वीकृत तथा भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, भोपालपानी, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप सं० 2117/स्टो०क्रेश०नवी०/खनन/भू०खनि०ई०/चमो०/2021-22, दिनांक 24 सितम्बर 2021 के द्वारा नवीनीकृत 20 टन प्रति घंटा क्षमता के स्टोन क्रेशर प्लांट का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण दिनांक 19.06.2024 को राजस्व विभाग तथा भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, चमोली के उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्लांट स्वामी के प्रतिनिधि श्री शिव कुमार पटेल की उपस्थिति में किया गया। स्वीकृत स्टोन क्रेशर प्लांट की स्थलीय निरीक्षण आख्या निम्नवत् है :-

स्थलीय निरीक्षण के दौरान स्वीकृत/नवीनीकृत स्टोन क्रेशर प्लांट के चारों ओर नियमानुसार चाहरदीवारी, पक्का रास्ता/मोटर मार्ग व हरित पट्टिका सही ढंग से निर्मित पायी गयी। उक्त स्टोन क्रेशर में प्लांट संचालन हेतु प्रयुक्त जल को रिसाईकल एवं फिल्टर किये जाने हेतु प्लांट परिसर में पिण्डर नदी के अपस्ट्रीम में एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ पाया गया, जिसको कि आपरेटरों द्वारा संचालित किया जाता है। उक्त वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में स्टोन क्रेशर प्लांट से निकलने वाले दूषित जल को पाईप के माध्यम से टैंक में जमा किया जा रहा है तथा उक्त दूषित जल को पुनः दूसरे पाईप से फिल्टर पम्प के माध्यम से तीन अन्य टैंकों में फिल्टर किये जाने के उपरान्त पिण्डर नदी में छोड़ा जा रहा है।


वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के समीप सिल्ट/रेता/बजरी एकत्रित पायी गयी, जिसके संबंध में श्री शिव कुमार पटेल द्वारा अवगत कराया गया कि प्लांट संचालन हेतु प्रयुक्त दूषित जल को उक्त टैंक से होते हुए दूसरे टैंक में छोड़ा जाता है तथा प्रथम टैंक में जमा सिल्ट/रेता/बजरी को जे०सी०वी० मशीन के माध्यम से साफ करते हुए गाडियों में भर कर अन्य कार्यों जैसे गढ़दों के भरान में किया जाता है।


निरीक्षण के दौरान स्टोन क्रेशर प्लांट में पानी के छिडकाव हेतु एक कन्वेयर बेल्ट पर लगा हुआ एक वाटर स्प्रींकल क्षतिग्रस्त पाया गया, जिसके संबंध में प्लांट स्वामी के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि उक्त कन्वेयर बेल्ट पर एक सप्ताह के अन्दर नया वाटर स्प्रींकल लगाते हुए उसकी सूचना, फोटोग्राफ सहित खान अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।


अवगत कराना है कि वर्तमान में उक्त स्टोन क्रेशर के संचालन हेतु पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून, उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 31.03.2027 तक की अवधि हेतु अनुमति प्रदान की गयी है। पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून, उत्तराखण्ड द्वारा निर्गत अनुमति के क्रम में स्थलीय निरीक्षण के दौरान उपस्थित राजस्व विभाग व खनन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्लांट परिसर में लगे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की कार्य कुशलता की जांच तथा उससे निकलने वाला पानी जो कि पिण्डर नदी में जा रहा है के रासायनिक विश्लेषण की जांच उसके मानकों के अनुरूप प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कराये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी। निरीक्षण के दौरान प्लांट परिसर की वीडियोग्राफी की गयी जिसको सी०डी० में संरक्षित कर संयुक्त निरीक्षण आख्या के साथ संलग्न किया जा रहा है।


अतः संयुक्त निरीक्षण आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।


राजस्व उपनिरीक्षक,
देहराडा।


राजस्व निरीक्षक,
थराली।


तहसीलदार
थराली।


खान अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
चमोली